# कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार
वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–21/2017–1238 दिनांक : 03.10.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/मेदिनीनगर वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/सरायकेला वन प्रमंडल/गोड्डा वन प्रमंडल।

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू किये गये वनरक्षी आवास निर्माण (चार फ्लैट का एक यूनिट) को पूर्ण करने हेतु कुल **रू0 208.862 लाख (दो करोड़ आठ लाख छियासी हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंगः–** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4/यो0ब0–20/2017–50/स्वी0 व0प0 दिनांक–15.03.2018, स्वी0 सं0–14/स्वी0 व0प0 दिनांक–20.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या– 04/यो0ब0–20/ 2017–77/आ0 व0प0 दिनांक–24.09.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–15–वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **208.862 लाख (दो करोड़ आठ लाख छियासी हजार दो सौ रुपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240601101150103 | 83.545 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101150323 | 125.317 |
| कुल :– | | **208.862** |

**2.** अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति में त्रुटियाँ पाए जाने के कारण पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति को अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग से पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया गया है। अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा 30.876 लाख (तीस लाख सतासी हजार छः सौ) रूपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। विगत वर्ष प्रति फ्लैट 18.590 लाख (अठारह लाख उनसठ हजार) रूपये इस कार्य के लिए राशि उप आवंटित है, शेष प्रति फ्लैट 12.286 लाख (बारह लाख अठाईस हजार छः सौ) रूपये की दर से राशि उप आवंटित की जा रही है।

**3.** इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

**4.** इस योजना का कोड संख्या–19S240601101150103 एवं 19S240601101150323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

**5.** इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वियन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

**6.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वियनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

**7.** वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

**8.** सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

**9.** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

**10.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**11.** उक्त स्वीकृति राशि के विरुद्ध निर्माण कार्य से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या– 3916 दिनांक–13.09.2012 का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

**12.** नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे

दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**13.** योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

**14.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**15.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**16.** स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u>** ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–21/2017–**1238 दिनांक–03.10.2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ बोकरो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा बोकारो/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u>** ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–21/2017–**1238 दिनांक–03.10.2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ देवघर/ गढ़वा/ मेदिनीनगर/ बोकारो/ सरायकेला–खरसावां/गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u>** ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक –1

**वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली वन प्रबंधन सुविधायें (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू किये गये वनरक्षी आवास (चार फ्लैट का एक यूनिट) को पूर्ण करने हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

*(राशि लाख में)*

| क्र0 | प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य यूनिट की संख्या (चार फ्लैट का एक यूनिट) | वित्तीय वर्ष 2018–19 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| 1 | पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| 2 | देवघर वन प्रमंडल, देवघर | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| 3 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| 4 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| 5 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| 6 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| 7 | सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला | 3 | 14.742 | 22.116 | 36.858 |
| 8 | गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा | 2 | 9.829 | 14.743 | 24.572 |
| | सकल योग :– | 17 | 83.545 | 125.317 | 208.862 |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

F:\DEVELOPMENT\2018-19\Allotment\OA\Forest Management Facility\FGQ\Forest Guard Quarter

| वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि की विवरणी :- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 19S240601101150103 | 19S240601101150323 | Total |
| Pakur | PKRFOR001 | Premjit Anand | Divisional Forest Officer | 982900 (60245) | 1474300 (60259) | 2457200 |
| Deoghar | DGRFORE88 | Mamta Priyadarshi | Dfo Deo.For.Div.Deo. | 982900 (60249) | 1474300 (60260) | 2457200 |
| Garhwa | GRHFWL001 | Ashok Kumar Dubey | D.F.O. North Div. Garhwa | 982900 (60250) | 1474300 (60261) | 2457200 |
| Garhwa | GRHFWL004 | Sr Arvind Kumar | D.F.O. South Div.Garhwa | 982900 (60251) | 1474300 (60262) | 2457200 |
| Palamu | PLMFOR070 | Naresh Chandra Singh Munda | D.F.O.Medininagar.Forest.Div. | 982900 (60253) | 1474300 (60264) | 2457200 |
| Bokaro | BKRFOR001 | P.R. Naidu | D F O, Bokaro | 982900 (60254) | 1474300 (60265) | 2457200 |
| Saraikela | SKLFOR001 | Saba Alam Ansari | D. F. O. Seraikella-Kharsawan | 1474200 (60256) | 2211600 (60266) | 3685800 |
| Godda | GDDFOR164 | Manish Kumar | Dfo Godda Forest Division | 982900 (60258) | 1474300 (60267) | 2457200 |
| | | | | | | |

कुल आवंटित राशि :- 20886200 ( दो करोड आठ लाख छियासी हजार दो सौ ) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/1238 दिनांक - 03-Oct-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60245 | PKRFOR001<br>PREMJIT ANAND<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |
| 2 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60249 | DGRFORE88<br>MAMTA PRIYADARSHI<br>DFO<br>DEO FOR.DIV.DEO. | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |
| 3 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60250 | GRHFWL001<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |

योग: 2,948,700.00

क्रमिक योग: रुपये उन्तीस लाख अडतालीस हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN,IFS)

PCCF.DE[illegible]RANCHI



164.100.150.21

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60251 | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |
| 5 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60253 | PLMFOR070<br>NARESH CHANDRA<br>SINGH MUNDA<br>D.F.O.MEDININAGAR.<br>OREST.DIV. | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |
| 6 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60254 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D F O, BOKARO | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |

योग: 2,948,700.00

क्रमिक योग: रुपये अठावन लाख सित्तानवे हजार चार सौ 5,897,400.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D[illegible])RANCHI



164.100.150.21 [illegible] 18

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60256 | SKLFOR001<br>SABA ALAM ANSARI<br>D. F. O.<br>SERAIKELLA-KHARSAWAN | 1,474,200.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार दो सौ |
| 8 | S 19 240601101150103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60258 | GDDFOR164<br>MANISH KUMAR<br>DFO GODDA FOREST DIVISION | 982,900.00<br>रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ |
| 9 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60259 | PKRFOR001<br>PREMJIT ANAND<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |

योग: 3,931,400.00

क्रमिक योग: रुपये अठानवे लाख अठाइस हजार आठ सौ 9,828,800.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN,IFS)
PCCF.D RANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60260 | DGRFORE88<br>MAMTA PRIYADARSHI<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |
| 11 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60261 | GRHFWL001<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>D.F.O. NORTH DIV.<br>GARHWA | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |
| 12 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60262 | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |

योग: 4,422,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड बयालीस लाख इकावन हजार सात सौ 14,251,700.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEVELOPMENT RANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60264 | PLMFOR070<br>NARESH CHANDRA SINGH MUNDA<br>D.F.O.MEDININAGAR.FOREST.DIV. | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |
| 14 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60265 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D.F.O. BOKARO | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |
| 15 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)<br>Centeral Scheme : NA | 60266 | SKLFOR001<br>SABA ALAM ANSARI<br>D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN | 2,211,600.00<br>रुपये बाइस लाख ग्यारह हजार छः सौ |

योग: 5,160,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड चौरानवे लाख ग्यारह हजार नौ सौ 19,411,900.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DBADHARKHANS)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/1238 दिनांक - 03-Oct-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 16 | S 19 240601101150323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>15 - वन प्रबंधन सुविधायें<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme** | 60267 | GDDFOR164<br>MANISH KUMAR<br>DFO GODDA FOREST DIVISION | 1,474,300.00<br>रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ |

State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)
Centeral Scheme : NA

योग: 1,474,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड आठ लाख छियासी हजार दो सौ 20,886,200.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAN(IFS))
PCCF.D... RANCHI

 164.100.150.21 [redacted]